

सोमेश्वर प्रकरण दिनांक 27.5.24
को पेश हों।

आज्ञा से

(A)

रीडर

27.5.24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अतिबन्धन उपस्थित है।

प्रकरण का मूलवाद फाइनल डिमी किया जा रहा है।
अब इस प्र.पत्र में शबकोई कार्यवाही शेष नहीं रही
है।

अतः डायरी पत्र इस स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय शेर इजलास सुनाया गया। प्रकरण फाइनल शुद्ध बंद
मात्र से कम है।

(रिया सबी)
IAS

